

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

क्रमांक सं० : 50/2024

अपीलवाक :

कान्ता कुमारी पत्नी अमन गिल पुत्री रमेशकुमार जाति-जाट निवासी शमैण तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद हाल भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सुनीता पत्नी रणवीरसिंह पुत्री रमेशकुमार जाति जाट निवासी भिरानी हाल वार्ड सं०

17 जोगीआसन मोहल्ला नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

रमेशकुमार पुत्र रिशालसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

राजेशकुमार पुत्र रमेशकुमार जाति जाट निवासी भिरानी तह० भादरा।

कुमारी ज्योति पत्नी राकेश बैनीवाल पुत्री दशरथ जाति जाट निवासी भिरानी हाल निवासी

ढाणी अराईयाना तहसील नोहर।

भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई भिरानी तहसील भादरा।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

विमला पत्नी रमेशकुमार जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र जाखड़ एवं वकील प्रतिवादीगण सुश्री रीटा चौधरी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के वर्तमान खाता सं० 404/545 के मु० नं० 170 के किला नं० 25/1, 25/2 मु० नं० 171 के किला नं० 21 मु० नं० 178 के किला नं० 1, 9, 10 मु० नं० 179 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 मु० नं० 403 के किला नं० 14 ता 18, 23 ता 25 मु० नं० 404 के किला नं० 11, 12, 18 ता 22 मु० नं० 411 के किला नं० 2, कुल किता 28 की 6.325 हैक्टेयर बरानी मय रास्ता की भूमि में प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 379/6325 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के ही खाता सं० 643/471 के मु० नं० 300 के किला नं० 16 ता 19, 21/2, 22 ता 25, कुल किता 9 की 2.030 हैक्टेयर बरानी खातेदारी मे प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 338/1015 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के ही खाता सं० 642/469 के मु० नं० 94 के किला नं० 2, 3/1, 8/1, 11, 12, 13/1, 18/1, 19, 21 ता 23, मु० नं० 109 के किला नं० 1/1, 10/1, मु० नं० 110 के किला नं० 10, 11, मु० नं० 497 के किला नं० 16 ता 19, 20/1, 20/2, 21/4, 21/5, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, मु० नं० 498 के किला नं० 20/1, 21, 22 कुल किता 30 की 5.124 हैक्टेयर बरानी खातेदारी मय रास्ता मे प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा डबड़ी के खाता संख्या 294/347 के खसरा संख्या 12 तथा 7 की 2.821 है० बरानी में प्रतिवादी संख्या 1 रमेश कुमार के नाम 472/2821 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रमेश कुमार का नाम कलमजन कर वादी सं० 1 कान्ता कुमारी व वादी सं० 2 सुनीता एवं प्रतिवादी संख्या 2 राजेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, 3 एवं 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन भुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं० : 50/2024

अनवान :

- 1 कान्ता कुमारी पत्नी अमन गिल पुत्री रमेशकुमार जाति-जाट निवासी शमैण तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद हाल भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
- 2 सुनीता पत्नी रणवीरसिंह पुत्री रमेशकुमार जाति जाट निवासी भिरानी हाल वार्ड सं० 17 जोगीआसन मोहल्ला नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

- 1 रमेशकुमार पुत्र रिशालसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
- 2 राजेश कुमार पुत्र रमेशकुमार जाति जाट निवासी भिरानी तह० भादरा।
- 3 कुमारी ज्योति पत्नी राकेश बैनीवाल पुत्री दशरथ जाति जाट निवासी भिरानी हाल निवासी ढाणी अराईयाना तहसील नोहर।
- 4 भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई भिरानी तहसील भादरा।
- 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
- 6 विमला पत्नी रमेशकुमार जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत
धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ : वादीगण
वकील रीटा चौधरी : प्रतिवादी सं० 1 ता 3, 6

निर्णय

दिनांक : 28-11-2024



संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादभूमि रोही मौजा भिरानी के वर्तमान खाता सं० 404/545 के मु० नं० 170 के किला नं० 25/1, 25/2 मु० नं० 171 के किला नं० 21 मु० नं० 178 के किला नं० 1, 9, 10 मु० नं० 179 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, मु० नं० 403 के किला नं० 14 ता 18, 23 ता 25 मु० नं० 404 के किला नं० 11, 12, 18 ता 22 मु० नं० 411 के किला नं० 2, कुल कित्ता 28 की 6.325 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता की भूमि में प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 379/6325 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के ही खाता सं० 643/471 के मु० नं० 300 के किला नं० 16 ता 19, 21/2, 22 ता 25, कुल कित्ता 9 की 2.030 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 338/1015 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भिरानी के ही खाता सं० 642/469 के मु० नं० 94 के किला नं० 2, 3/1, 8/1, 11, 12, 13/1, 18/1, 19, 21 ता 23, मु० नं० 109 के किला नं० 1/1, 10/1, मु० नं० 110 के किला नं० 10, 11, मु० नं० 497 के किला नं० 16 ता 19, 20/1, 20/2, 21/4, 21/5, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, मु० नं० 498 के किला नं० 20/1, 21, 22 कुल कित्ता 30 की 5.124 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मय रास्ता मे प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा डाबडी के खाता संख्या 294/347 के खसरा संख्या 12 तथा 7 की 2.821 है० बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 रमेश कुमार के नाम 472/2821 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि पहले वादियान के दादा परदादा की खातेदारी हुआ करती थी जो पीढी दर पीढी विरासतन मे मिलती आ रही है। वादभूमि वादियान की दादालाई पैत्रक खातेदारी है

जिसमें वादियान का जन्म से ही हक एव अधिकार है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम महज कर्ता खानदान होने के चलते दर्ज चली आ रही है। जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1, 3, 6 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से वकील हाजिर आये व जवाब पेश करना नहीं चाहते। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं० 5 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 1, 3 तथा 6 द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में कान्ताकुमारी पत्नी अमन गिल पुत्री रमेशकुमार जाति-जाट निवासी शमैण तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद हाल निवासी भिरानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा भिरानी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 404/545 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 643/471 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 642/469 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा डाबड़ी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 294/347 प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी सम्वत् 2066-69 खाता संख्या 491/398 प्रदर्श 5, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी सम्वत् 2066-69 खाता संख्या 431/498 प्रदर्श 6, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी सम्वत् 2066-69 खाता संख्या 435/34 प्रदर्श 7, जमाबंदी रोही मौजा डाबड़ी सम्वत् 2063-66 खाता संख्या 333/241, जमाबंदी रोही मौजा डाबड़ी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 534/480 प्रदर्श 9, शपथ पत्र रमेश कुमार पुत्र रिशाल सिंह प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि वादीगण के पिता रमेश कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा भिरानी के वर्तमान खाता सं० 404/545 के मु० नं० 170 के किला नं० 25/1, 25/2 मु० नं० 171 के किला नं० 21 मु० नं० 178 के किला नं० 1, 9, 10 मु० नं० 179 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, मु० नं० 403 के किला नं० 14 ता 18, 23 ता 25 मु० नं० 404 के किला नं० 11, 12, 18 ता 22 मु० नं० 411 के किला नं० 2, कुल कित्ता 28 की 6.325 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता की भूमि में प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 379/6325 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के ही खाता सं० 643/471 के मु० नं० 300 के किला नं० 16 ता 19, 21/2, 22 ता 25, कुल कित्ता 9 की 2.030 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 338/1015 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भिरानी के ही खाता सं० 642/469 के मु० नं० 94 के किला नं० 2, 3/1, 8/1, 11, 12, 13/1, 18/1, 19, 21 ता 23, मु० नं० 109 के किला नं० 1/1, 10/1, मु० नं० 110 के किला नं० 10, 11, मु० नं० 497 के किला नं० 16 ता 19, 20/1, 20/2 21/4, 21/5, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, मु० नं० 498 के किला नं० 20/1, 21, 22 कुल कित्ता 30 की 5.124 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मय रास्ता मे प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा डाबड़ी के खाता संख्या 294/347 के खसरा संख्या 12 तथा 7 की 2.821 है० बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 रमेश कुमार के नाम 472/2821 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज

उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रमेश कुमार का नाम कलमजन कर वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावे। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, 3 एवं 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर साबित स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के वर्तमान खाता सं० 404/545 के मु० नं० 170 के किला नं० 25/1, 25/2 मु० नं० 171 के किला नं० 21 मु० नं० 178 के किला नं० 9, 10 मु० नं० 179 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 मु० नं० 403 के किला नं० 14 ता 18, 23 ता 25 मु० नं० 404 के किला नं० 11, 12, 18 ता 22 मु० नं० 411 के किला नं० 2, कुल किता 28 की 6.325 हैक्टेयर बरानी मय रास्ता की भूमि में प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 379/6325 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के ही खाता सं० 643/471 के मु० नं० 300 के किला नं० 16 ता 19, 21/2, 22 ता 25, कुल किता 9 की 2.030 हैक्टेयर बरानी खातेदारी मे प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 338/1015 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के ही खाता सं० 642/469 के मु० नं० 94 के किला नं० 2, 3/1, 8/1, 11, 12, 13/1, 18/1, 19, 21 ता 23, मु० नं० 109 के किला नं० 1/1, 10/1, मु० नं० 110 के किला नं० 10, 11, मु० नं० 497 के किला नं० 16 ता 19, 20/1, 20/2, 21/4, 21/5, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, मु० नं० 498 के किला नं० 20/1, 21, 22 कुल किता 30 की 5.124 हैक्टेयर बरानी खातेदारी मय रास्ता मे प्रतिवादी रमेशकुमार के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा डाबड़ी के खाता संख्या 294/347 के खसरा संख्या 12 तथा 7 की 2.821 है० बरानी में प्रतिवादी संख्या 1 रमेश कुमार के नाम 472/2821 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रमेश कुमार का नाम कलमजन कर वादी सं० 1 कान्ता कुमारी व वादी सं० 2 सुनीता एवं प्रतिवादी संख्या 2 राजेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, 3 एवं 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक क्लर्क (फॉस्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़